अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2005-2006
क. ऋण*	14946.19	16192.86	17184.48
ख. नकद अनुदान	3437.94	2896.70	3045.29
ग. वस्तु अनुदान सहायता	159.99	167.50	172.62
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**18544.12**	**19257.06**	**20402.39**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	6869.67	7158.22	7528.64
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर)(घ-ङ)	11674.45	12098.84	12873.75
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	2629.84	2797.41	3111.91
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर)(च-छ)	9044.61	9301.43	9761.84
* *इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	400.00	800.00	800.00

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

उन द्विपक्षीय विकास साझीदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय किया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर भी विचार करें।

द्विपक्षीय विकास सहयोगिता नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जाएगी।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

I. बेल्जियम

बेल्जियम 1962-63 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर रहा है। तथापि, इन वर्षों में बेल्जियम सहायता की प्रमात्रा काफी कम हो गई है।

दिनांक 20.09.2004 को सरकार द्वारा घोषित संशोधित द्विपक्षीय विकास सहायता के अधीन, बेल्जियम को एक द्विपक्षीय विकास भागीदार नहीं समझा जाएगा यदि यह भारत को 25 मिलियन डालर प्रतिवर्ष से अधिक की द्विपक्षीय विकास सहायता वचनबद्ध नहीं करता। दिसंबर 2004 में 22.26 मिलियन यूरो के ऋण की पूर्व-अदायगी की गई थी।

II. कनाडा

कनाडा की भारत को आर्थिक सहायता 1951 में शुरू हुई। कनाडा की सहायता कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से सीडा द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में है। अक्तूबर 2003 में, द्विपक्षीय ऋणों पर नीति के अनुसार भारत सरकार ने 1966-1984 के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की एवज में 419.941 मिलियन सीएडी के संपूर्ण ऋण की पूर्व-अदायगी की थी।

सीडा द्वारा सहायता प्राप्त महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं ये हैं - वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना, भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना, उद्योग सम्पर्क परियोजना, एचआईवी/एड्स रोकथाम व नियंत्रण परियोजना और पर्यावरण संस्थागत सुदृढीकरण परियोजना। इन परियोजनाओं में तकनीकी सहायता शामिल है और निधियां बजट के जरिए नहीं दी जाती हैं।

III. डेनमार्क

डेनमार्क 1963 से भारत को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में डेनिश सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की जा रही है। 31.03.2004 तक 5362.30 मिलियन डेनिश क्रोनर (3217.38 करोड़ रु. के बराबर) की वचनबद्धता डेनमार्क ने की जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं।

उड़ीसा में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण, चरण II के लिए करार पर, 21.10 मिलियन डेनिश क्रोनर (13.48 करोड़ रु.) के अनुदान के लिए, 12.12.2004 को डेनमार्क सरकार के साथ हस्ताक्षर किए। वर्ष 2004-05 के लिए 13.50 करोड़ रु. की एक अनुमानित प्राप्ति की तुलना में, डेनमार्क सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से 31.10.2004 तक 8.67 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

भारत सरकार ने डेनमार्क सरकार को 20.10.2003 को 528.236 मिलियन डेनिश क्रोनर, लगभग 70.5 मिलियन अमरीकी डालर और 1.259 मिलियन अमरीकी डालर की पूर्व-अदायगी की है जिसमें डेनिश ऋणों पर कुल बकाया राशि शामिल है। भारत की डेनमार्क के संबंध में कोई अतिरिक्त देनदारिया नहीं हैं।

भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच 31.12.2005 तक भारत में डेनिश विकास कार्यक्रम की चरणबद्ध समाप्ति पर परस्पर सहमति हो गई है।

IV. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से द्विपक्षीय सहायता प्रदान कर रहा है। फ्रांसीसी सहायता फ्रांस से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी है। फ्रांस के मिश्रित ऋणों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्युत, कोयला, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि के लिए उपयोग किया गया है।

अप्रैल 1968 से मार्च 2004 तक कुल वचनबद्ध फ्रांसीसी सहायता 15443.669 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक और 15.201 मिलियन यूरो बैठती है।

वर्ष 2004-05 के लिए 21 करोड़ रु. के संशोधित अनुमानों की तुलना में, भारत सरकार के माध्यम से 31.10.2004 तक 17.46 करोड़ रु. संवितरित किए जा चुके हैं। 2004-2005 के दौरान फ्रांस के साथ किसी नई परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

V. जर्मनी

जर्मनी भारत के सबसे बड़े द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी भारत को वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। भारत-जर्मनी विकास सहयोग की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का वहनीय उपयोग; ऊर्जा, आर्थिक सुधार (वित्तीय और निजी क्षेत्र) तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं एचआईवी/एड्स शामिल हैं।

जुलाई, 2004 में भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ताएँ-2004 आयोजित की गईं जिनमें जर्मनी सरकार ने 123.529 मिलियन यूरो की विकास सहायता की वचनबद्धता की (जिसमें 15.529 मिलियन यूरो की निधियों की रीप्रोग्रामिंग शामिल है)। वचनबद्धताओं में 100.624 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता (26.624 मिलियन यूरो अनुदान के रूप में, 30.500 मिलियन उदार ऋण के रूप में और 43.500 ब्याज सब्सिडी प्राप्त ऋण के रूप में) और 22.905 यूरो की तकनीकी सहायता (अनुदान) शामिल है।

वर्ष 2004-2005 के दौरान (अक्तूबर, 2004 तक) कुल संवितरण 13.802 मिलियन यूरो (तकनीकी सहायता छोड़कर) था। इस संवितरण में अमध्यस्थीकृत परियोजनाएँ शामिल हैं।

VI. इटली

इटली 1981 से भारत को रियायती सहायता प्रदान कर रहा है। इटली प. बंगाल में 14 शहरी स्थानीय निकायों में एक जलापूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए उदार ऋण के रूप में 50 बिलियन लीरा (25.82 मिलियन यूरो) प्रदान करनेके लिए सहमत हो गया है।

VII. जापान

जापान से, निम्न दर्शाए गए स्तर की सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) प्राप्त होने की आशा है।

(i) ऋण

सं.अ. 2004-05	**ब.अ. 2005-06**
3641.29 करोड़ रुपए	3423.41 करोड़ रुपए

वित्तीय वर्ष 2004 के दौरान, नए ऋणों की निम्नलिखित के लिए प्रत्याशा की गई है (1) उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना, (2) तमिलनाडु वनीकरण परियोजना, (3) कर्नाटक वहनीय वन प्रबंधन और जैवविविधता संरक्षण परियोजना, (4) गंगा कार्य योजना परियोजना (वाराणसी), (5) उत्तर प्रदेश बौद्ध परिसर विकास परियोजना, (6) बंगलौर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना, (7) दिल्ली सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना, (7) और (8) राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना। इसके अलावा, जापान से ओडीए ऋण सहायता के साथ 39 चालू परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

जेबीआईसी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाएँ

(राशि मिलियन येन में)

क्रम सं.	आईडीपी सं. और परियोजना का नाम	स्थल	ऋण राशि	हस्ताक्षर करने की/समाप्ति तिथि	
	विद्युत मंत्रालय				
1.	पुरूलिया पम्प्ड भण्डारण परियोजना	पश्चिम बंगाल	20520	28-02-1995	12-12-2004
2.	उत्तरी भारत परिवहन प्रणाली परियोजना	केन्द्र	8497	25-02-1997	03-06-2006
3.	तुईरियल पन बिजली विद्युत परियोजना	मिजोरम	11695	25-02-1997	18-06-2009
4.	सिंहाद्री तापीय विद्युत परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	19817	25-02-1997	24-06-2007
5.	सिंहाद्री तापीय विद्युत परियोजना-II	आन्ध्र प्रदेश	12194	30-03-2001	07-06-2008
6.	सिंहाद्री तापीय विद्युत परियोजना-III	आन्ध्र प्रदेश	27473	13-02-2002	26-03-2009
7.	सिंहाद्री और विजाग सम्प्रेषण प्रणाली परियोजना-II	आन्ध्र प्रदेश	6400	10-05-2002	02-08-2009
8.	पश्चिम बंगाल परिवहन प्रणाली परियोजना-II	पश्चिम बंगाल	3127	10-05-2002	02-08-2009
9.	सिंहाद्री तापीय विद्युत परियोजना-IV	आन्ध्र प्रदेश	5684	31-03-2003	22-08-2009
10.	बकरेश्वर टीपीएस यूनिट विस्तार परियोजना	पश्चिम बंगाल	36771	31-03-2003	31-07-2009
11.	पुरूलिया पम्प्ड भण्डारण परियोजना-II	पश्चिम बंगाल	23578	31-03-2004	18-06-2009
12.	धौलीगंगा एचई विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना-III	उत्तरांचल	13890	31-03-2004	12-07-2009
13.	यूमियम स्टेज-II हाइड्रो-पावर स्टेशन परियोजना	मेघालय	1964	31-03-2004	18-06-2012
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
14.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	कर्नाटक	15968	25-02-1997	29-05-2005
15.	तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	तमिलनाडु	13324	25-02-1997	29-05-2005
16.	पंजाब वनरोपण परियोजना-(II)	पंजाब	5054	31-03-2003	31-07-2009
17.	राजस्थान जैव विविधता वानिकी परियोजना	राजस्थान	9054	31-.03-2003	31-07-2010
18.	यमुना कार्य योजना परियोजना –(II)	दिल्ली, उ.प्र., हरियाणा	13333	31-.03-2003	31-07-2010
19.	एकीकृत प्राकृतिक संसाधन परियोजना	हरियाणा	6280	31-03-2004	18-06-2014
	शहरी विकास मंत्रालय				
20.	बंगलौर जलापूर्ति परियोजना	कर्नाटक	28452	25-01-1996	31-12-2004
21.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना	दिल्ली	14760	25-02-1997	21-10-2007
22.	कोलकाता परिवहन प्रणाली परियोजना	पश्चिम बंगाल	10679	25-02-1997	29-12-2005
23.	केरल जलापूर्ति परियोजना	केरल	11997	25-02-1997	03-06-2006
24.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना-II	दिल्ली	6732	30-03-2001	07-06-2008

क्रम सं.	आईडीपी सं. और परियोजना का नाम	स्थल	ऋण राशि	हस्ताक्षर करने की	समाप्ति तिथि
25.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना-III	दिल्ली	28659	13-02-2002	27-03-2009
26.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना-IV	दिल्ली	34012	31-03-2003	31-07-2009
27.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना-V	दिल्ली	59296	31-03-2004	18-06-2008
28.	बीसलपुर-जयपुर जलापूर्ति परियोजना (अंतरण प्रणाली)	राजस्थान	8881	31-03-2004	19-10-2013
	जल संसाधन मंत्रालय				
29.	के.सी. नहर परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	16049	25-01-1996	26-02-2005
30.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	13222	25-02-1997	29-05-2006
31.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	7760	12-.12-1997	31-12-2004
32.	रेंगाली सिंचाई परियोजना-II	उड़ीसा	6342	31-03-2004	18-06-2011
33.	के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना-II	आन्ध्र प्रदेश	4773	31-03-2004	18-06-2012
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
34.	यमुना नदी के ऊपर नैनी पुल	उत्तर प्रदेश	10037	24-01-1994	11-03-2005
35.	एनएच-5 सुधार परियोजना	उड़ीसा	5836	28-02-1995	12-01-2005
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
36.	अट्टापैडी वेस्टलैंड परियोजना	केरल	5112	25-01-1996	26-03-2005
	वस्त्र मंत्रालय				
37.	छत्तीसगढ़ प्रदेश रेशम कीट पालन परियोजना	मध्य प्रदेश	2212	12-12-1997	05-02-2005
38.	मणिपुर रेशम कीट पालन परियोजना	मणिपुर	3962	12-12-1997	28-07-2005
	पर्यटन मंत्रालय				
39.	अजंता एलौरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना-II	महाराष्ट्र	7331	31-03-2003	31-07-2011
		जोड़	**540727**		

(ii) सामान्य अनुदान

सं. अ. 2004-05	**ब.अ. 2005-06**
41.30 करोड़ रुपए	92.00 करोड़ रुपए

मुख्य परियोजनाएं निम्नलिखित हैं: (i) सर जे जे अस्पताल एवं कामा एंड एल्बलैस अस्पताल, मुंबई, और (ii) एनआईसीईडी, कोलकाता में डायरिया अनुसंधान एवं नियत्रण केन्द्र।

ऋण राहत अनुदान सहायता:

सं. अ. 2004-05	**ब.अ. 2005-06**
11.54 करोड़ रुपए	12.21 करोड़ रुपए

VIII. नीदरलैंडस

नीदरलैंडस 1962-63 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर रहा है। दिसंबर 1991 तक, डच सहायता में ऋण और अनुदान, दोनों शामिल थे और ये मुख्यतः स्थानीय लागत वित्तपोषण के लिए होती थी। 1992 से, सारी डच सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गई है।

वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रतिवादित पुनः स्थापित द्विपक्षीय विकास सहायता नीति के अधीन, डच से ओडीए समाप्त कर दी गई। नीदरलैंडस जी-8 का सदस्य नहीं है। तथापि, चूँकि वह यूरोपीय समुदाय का सदस्य है, इसलिए 20.09.2004 को घोषित हमारी नई नीति के संबंध में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग दुबारा शुरू करने के लिए अर्हता हेतु, नीदरलैंडस को 25 मिलियन डालर प्रति वर्ष से अधिक की द्विपक्षीय विकास सहायता की वचनबद्धता करनी होगी।

2003-04 और 2004-05 (अक्तूबर तक) के दौरान भारत सरकार के माध्यम से संवितरित डच सहायता क्रमशः 199.12 करोड़ रु. और 39.94 करोड़ रुपए रही है।

IX. नार्वे

नार्वेजियाई द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम भारत में 1952 से प्रारंभ हुआ और द्विपक्षीय विकास सहायता के अधीन निधिपोषित पहली परियोजना केरल में मत्स्य पालन विकास परियोजना थी। नार्वे द्वारा प्रदत्त द्विपक्षीय सहायता नार्वेजियाई विकास सहयोग अभिकरण (नोराड) के माध्यम से संचालित की जाती है।

द्विपक्षीय विकास सहयोग पर भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, भारत सरकार नई परियोजनाओं के लिए नार्वे से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

वर्तमान में, नार्वे द्वारा सहायता प्राप्त केवल 2 परियोजनाएँ चालू है जिनमें मुख्यतः तकनीकी सहायता शामिल है।

X. स्विटजरलैण्ड

स्विटजरलैण्ड 1964 से सहायता प्रदान करता रहा है। पर्याप्त परिमाण में स्विस सहायता भारत सरकार के बजट के माध्यम से मुख्यतः तकनीकी सहायता अथवा इस प्रकार की अन्य सहायता के रूप में नहीं दी गई तथा कुछ मामलों में यह गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई है। केरल में नेरियामंगलम पन बिजली परियोजना का वित्तपोषण भारत-स्विस मिश्रित ऋण द्वारा किया गया है जिसपर 1998 में करार हुआ था। 2004-05 के दौरान 13.77 करोड़ रु. की राशि का संवितरण स्विस मिश्रित ऋण के तहत 31-10-2004 तक किया गया है।

XI. यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। अनुदानों के रूप में, यू.के. इस समय भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदार है। यू.के. सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) जो यू.के. के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय का एक हिस्सा है, के माध्यम से प्रदान की जाती है।

यू.के. से सहायता वित्तीय सहयोग (बजट के माध्यम से लाई गई) और तकनीकी सहयोग के रूप में उपलब्ध है जिसमें परामर्शी सेवाओं, विशेषज्ञों, प्रशिक्षण आदि के लिए डीएफआईडी द्वारा सीधा भुगतान शामिल है।

डीएफआईडी की विकास सहयोग सहायता विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, गंदी बस्ती सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, वानिकी तथा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की परस्पर रूप से करार की गई परियोजनाओं में गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर प्रदान की जाती है। डीएफआईडी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) में भी योगदान दे रहा है।

मार्च 2004 में डीएफआईडी ने 2004-2008 के लिए भारत में अपनी नई देशीय आयोजना प्रारंभ की है जिसका शीर्षक है "भारत विकास हेतु देशीय आयोजना-भागीदारी"।

इस समय डीएफआईडी की सहायता से 27 चालू परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अप्रैल-नवम्बर, 2004 के दौरान डीएफआईडी की सहायता के लिए 308.277 मिलियन पाऊण्ड के कुल अनुदान वाली तीन नई परियोजनाएं हस्ताक्षरित की गई थी।

XII. रुसी परिसंघ

चालू वर्ष के दौरान रुसी परिसंघ की सरकार और भारत सरकार के बीच किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 2310 करोड़ रुपए और 2974 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

XIII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूएसएआईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2004 के लिए प्राधिकृत 32.088 मिलियन अमरीकी डालर की यूएसएआईडी की विकास सहायता भी शामिल है, जो 30 सितम्बर 2004 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें निम्नलिखित 13 (तेरह)/करार संशोधनात्मक करार शामिल हैं अर्थात्:-

क्रम सं.	परियोजना	वचनबद्ध अनुदान राशि अमरीकी डालर	संशोधित करार की तारीख
1.	एड्स रोकथाम और नियंत्रण	1500000	01.03.2004
2.	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण रोकथाम परियोजना	850000	31.03.2004
3.	एड्स रोकथाम और नियंत्रण	2050000	30.06.2004
4.	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण रोकथाम परियोजना	1550000	19.07.2004
5.	राज्य राजकोषीय प्रबंधन सुधार	2500000	21.07.2004
6.	आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना	1000000	26.07.2004
7.	ऊर्जा संरक्षण और व्यापारीकरण	4666000	11.08.2004
8.	परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार	2425000	11.08.2008
9.	वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम/सीआरएच	1750000	23.08.2004
10.	परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार	8170000	24.08.2004
11.	वित्तीय संस्थान सुधार और विस्तार	2657000	09.09.2004
12.	ऊर्जा संरक्षण और व्यापारीकरण	1700000	28.09.2004
13.	राज्य राजकोषीय प्रबंधन सुधार	1270000	28.09.2004
	जोड़	**32088000**	

पी.एल.480 शीर्षक II कार्यक्रम के अधीन, 24.309 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग) की वस्तु सहायता (मालभाड़े सहित) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2004 (अक्तूबर 2003-सितम्बर 2004) के दौरान यूएसएआईडी द्वारा संवितरित की गई है।

XIV. यूरोपीय आयोग (ईसी)

यूरोपीय आयोग (ईसी) 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ई सी की सहायता पूर्णतः अनुदानों के रूप में है और इसका प्रयोग रुपए तथा अभिज्ञात परियोजनाओं की रुपया तथा विदेशी मुद्रा लागत को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है।

यूरोपीय आयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण। शिक्षा क्षेत्र (सर्वशिक्षा अभियान) और स्वास्थ्य क्षेत्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत क्रमशः 200 मिलियन यूरो और 240 मिलियन यूरो की ईसी सहायता वाली दो मुख्य परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

ईसी ने अपने द्विपक्षीय विकास सहयोग केन्द्रण को एक अथवा दो भारतीय राज्यों के साथ योजना-आधारित और क्षेत्र आधारित अभिगमन से साझेदारी अभिगमन पर परिवर्तित कर दिया है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों को ईसी के "राज्य साझेदारी कार्यक्रम" जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्र आएँगे के लिए परस्पर निर्धारित कर दिया गया है। ईसी के साथ 25-2-2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राज्यों में निर्धारित परियोजनाओं हेतु यूरोपीय आयोग द्वारा 160 मिलियन यूरो की कुल राशि प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2003-04 (31-10-2003 तक) के दौरान ईसी सहायता का संवितरण 24.011 मिलियन यूरो था। वर्ष 2004-05 (31-10-2004 तक) के दौरान 50.057 मिलियन यूरो (लगभग 280 करोड़ रु.) का संवितरण रहा है।

XV. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) अपनी अधिकांश धनराशि विश्व के वित्तीय बाजारों द्वारा जारी किए गए बाण्डों और अन्य ऋण प्रतिभूतियों से जुटाता है जो इसके सदस्यों से शेयर पूंजी अभिदानों की गारण्टी पर आधारित होते हैं। बैंक निधियों के अन्य स्रोत शेयरधारकों की पूंजी और प्रतिधारक अर्जन हैं। आईबीआरडी ऋण हालांकि गैर-रियायती है, ये वाणिज्यिक स्रोतों की तुलना में सापेक्षतया अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध होते हैं। आईबीआरडी के ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। ब्याज की वर्तमान दर परिवर्तनीय एकल मुद्रा ऋणों पर 3.11 प्रतिशत (दिसम्बर 2004 से जनवरी 2005 तक) है। असंवितरित बकाया पर वचनबद्धता शुल्क इस समय 0.75 प्रतिशत है। 0.50 प्रतिशत का बिना शर्त वचनबद्धता शुल्क अधित्याग वार्षिक आधार पर सभी ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है। ऋण राशि के 1 प्रतिशत का एक अपफ्रंट शुल्क भी देय है। फिलहाल समय पर भुगतान करने पर ऋणकर्ताओं को 0.25 प्रतिशत की ब्याज में छूट का प्रस्ताव किया गया है।

आईबीआरडी का ऋणों के जरिए दिनांक 30-06-2004 तक संचयी ऋण 30,915.9 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसेकि राजमार्ग, आर्थिक पुनर्गठन, विद्युत, कृषि, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, जलापूर्ति, रेलवे आदि में परियोजनाओं के लिए हैं।

वर्ष 2004 (दिनांक 02.11.2004 तक) के दौरान विश्व बैंक द्वारा 828.50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गईः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	स्वीकृति की तारीख
1.	ग्रामीण सड़क परियोजना	99.50	23.09.2044
2.	मध्यप्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना	394.00	07.09.2004
3.	हाइड्रोलोजी परियोजना चरण-II	105.50	24.08.2004
4.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	39.50	08.04.2004
5.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम-II	110.00	10.02.2004
6.	उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक सुधार (उड़ीसा एसएएल-1)	80.00	02.11.2004

XVI. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

बैंक का सुलभ ऋण सहयोगी, आईडीए अपने वित्तीय संसाधनों और पूर्व ऋणों से वापसी अदायगियों के लिए मुख्य रूप से अधिक धनी देशों द्वारा समय-समय पर किए गए अंशदानों पर निर्भर करता है।

आईडीए वचनबद्धताएं, जिन्हें वर्तमान में "ऋणों" के रूप में जाना जाता है, में 10 वर्ष की छूट की अवधि होती है और इसकी वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी होती है। भारत को दिनांक 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और दिनांक 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित राशि के भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। इसके अतिरिक्त, असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है,

भारत को आईडीए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.6.2004 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, जल आपूर्ति और सफाई, गरीबी उन्मूलन, कृषि, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, जल संभर विकास, वानिकी, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 30564.23 मिलियन अमरीकी डालर है।

वर्ष 2004 के दौरान (दिनांक 16.12.2004 तक) 1446.30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया थाः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	अनुमोदन की तारीख
1.	ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	300.00	23.09.2004
2.	समन्वित रोग जाँच परियोजना	68.00	08.07.2004
3.	उत्तरांचल विकेन्द्रित जलसंभर विकास परियोजना	69.60	20.05.2004
4.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	89.00	11.03.2004
5.	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम-II	110.00	10.02.2004
6.	सर्वशिक्षा अभियान	500.00	20.04.2004
7.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास कार्यक्रम	110.80	16.12.2004
8.	उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक सुधार (उड़ीसा एसएएल-1)	45.00	02.11.2044
9.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना	153.90	14.12.2004

XVII. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेन्सी है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसके 163 सदस्य हैं।

भारत आईएफएडी का इसके मूल सदस्यों में एक देश है। आईएफएडी की सहायता के लिए 01.01.2004 से आज तक की अवधि के दौरान केरल एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए है। ब्यौरा इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	हस्ताक्षर की तारीख
1.	हिमालय आजीविका सुधार परियोजना	39.91	20.02.2004

XVIII. एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.)

यह एक मुख्य क्षेत्रीय संस्था है। ए.डी.बी. के पूंजीगत स्टाक में भारत का योगदान जापान, अमरीका और चीन गणराज्य के बाद सदस्य देशों में चौथा सबसे बड़ा है।

आरम्भ में, 1966 में बैंक की स्थापना के बाद से, भारत स्वैच्छिक रूप से ए.डी.बी. से उधार लेने से बचा था। भारत सरकार ने ए.डी.बी. से, 1986 से उधार लेना आरम्भ किया। 30.11.04 तक ए.डी.बी. द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनुमोदित ऋण की राशि 13.36 बिलियन अमरीकी डालर थी। वे उपक्रम जिन के लिए ए.डी.बी. के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ऋण लिया गया है, मुख्यतः विद्युत, कृषि, पैट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़क, दूरसंचार और शहरी विकास क्षेत्रों से हैं। कलैण्डर वर्ष 2004 के दौरान, एडीबी द्वारा निम्नलिखित के लिए ऋण अनुमोदित किया गया हैः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	असम गवरनैन्स और लोक संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम	125.00
2.	असम गवरनैन्स और लोक संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम	25.00
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्टर-II परियोजना	400.00
4.	पावर ट्रन्समीशन (सेक्टर) परियोजना	400.00
5.	जम्मू तथा कश्मीर के लिए बहु-क्षेत्रक ऋण	250.00
	कुल	**1200.00**

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2005-2006	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2005-2006
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	3427.93	2967.06	3237.18	502.50	500.77	628.14
आई. डी. ए.	4109.99	5520.44	5270.90	2589.16	2654.41	2909.09
आई. एफ. ए. डी.	60.72	73.60	71.30	34.14	35.72	41.36
ए. डी. बी.	1818.90	1929.49	2267.09	81.36	67.32	115.19
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	6.23	6.20	6.64
ओ. पी. ई. सी.	5.00	...	...	...	18.21	16.62
कुल (बहुपक्षीय)	**9422.54**	**10490.59**	**10846.47**	**3213.39**	**3282.63**	**3717.04**
द्विपक्षीय						
बेल्जियम	...	...	...	...	152.76	...
चेक और स्लोवाकिया	...	...	...	4.28	4.28	...
जर्मनी	67.40	7.28	75.00	532.13	524.66	508.74
फ्रांस	21.00	19.89	7.00	205.58	222.24	228.93
इटली	...	...	5.00	...	...	...
जापान	3781.24	3351.33	3275.51	2164.52	2200.87	2409.71
कुवैत निधि	0.01	...	...	...	...	...
स्विटजरलैंड	...	13.77	1.50	12.19	15.18	7.41
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	516.60	522.22	454.57
रूसी संघ	1654.00	2310.00	2974.00	220.98	233.38	202.24
कुल (द्विपक्षीय)	**5523.65**	**5702.27**	**6338.01**	**3656.28**	**3875.59**	**3811.60**
कुल जोड़	***14946.19***	***16192.86***	***17184.48***	***6869.67***	***7158.22***	***7528.64***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2005-2006
बहुपक्षीय			
आई. एफ. ए. डी.	1186.88	0.94	0.80
आई बी आर डी अनुदान (यूएसडी)	...	0.24	...
आई डी ए (अमरीकी डालर)	...	13.23	...
द्विपक्षीय			
आस्ट्रेलिया	6.00	...	...
कनाडा/आईआरडीसी	18.75	3.68	11.00
डेनमार्क	13.50	9.60	8.30
फ्रांस	1.00	...	...
जर्मनी	133.55	260.51	98.55
जापान	46.00	52.84	104.21
नीदरलैंड	63.02	43.32	20.02
नार्वे/नोराड	0.17	1.41	...
स्विटजरलैंड	...	11.71	...
यूनाइटेड किंगडम	902.65	1473.00	1201.00
संयुक्त राज्य अमरीका	208.40	153.83	256.48
ई. ई. सी.	627.00	800.92	1090.04
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
एफ. ए. ओ.	...	0.02	...
यू. एन. एफ. पी. ए.	27.00	...	...
यू. एन. डी. पी.	100.71	20.57	122.75
यूनीसेफ	130.00	135.12	130.00
यूएनजीडीएफ	11.00	19.10	20.00
यूएनजीएफएटीएम	20.00	56.00	141.96
यूएनयूएस सहायता	...	0.36	5.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन	9.80	7.80	7.80
वैश्विक डाक संघ	2.50	...	...
जी. ई. एफ.	90.00	...	...
कुल जोड़	***3597.93***	***3064.20***	***3217.91***